XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो.2059–एक / 15 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–8–15	आवेदक की ओर से श्री के.के.द्विवेदी, अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण कमांक आर.एन. 500 / 96 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–भिण्ड

रेस्टो/2059/I-15

हरिसिंह मृत नबाव सिंह मिर्धा वारिस अतर सिंह पुत्र नबाव सिंह निवासी – सिनौर तहसील गोहद जिला – भिण्ड (म.प्र.)

..... प्रार्थी

विरूद्ध

(1) सोहराव खॉ पुत्र श्री मन्ने खॉ

(2) सेवाराम पुत्र श्री माधुरी जाटव दोनो निवासीगण – ग्राम छैकुरी तहसील गोहद जिला – भिण्ड (म.प्र.)

..... प्रति प्रार्थीगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.एन. 500/96 पुनरीक्षण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी श्री हरिसिंह का देहांत हो गया है, ऐसी स्थिति में उनके वारिस अतर सिंह पुत्र नबाव सिंह की और से यह रेस्टोरेशन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.1996 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक आर.एन./500/96 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 08.06.2015 नियत की गई थी।

(3) यहकि, उक्त तारीख पेशी से पूर्व उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा लोक अदालत दिनांक 25.04.2015 को आवेदक की बिना किसी जानकारी के सूची क्रमांक 52 पर रखा गया था। इसकी कोई भी सूचना आवेदक के नियुक्त अभिभाषक को नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से नियुक्त अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके। और प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2015 पारित कर दिया गया उक्त प्रकरण में प्रार्थी की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्थिर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की विधिवत् रूचि थी। ओर इस कारण उसकी ओर से अपने अभिभाषक नियुक्त कर कार्यवाही किये जाने का अधिकार दिया गया था। किन्तु अभिभाषक किन्ही कारण वश प्रकरण में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। ओर प्रकरण प्रार्थी की रूचि के अभाव में समाप्त किया गया। जो वैधानिक दृष्टि पर उचित नहीं है। इसलिये प्रकरण को पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–भिण्ड

हरिसिंह मृत नबाव सिंह मिर्धा वारिस अतर सिंह पुत्र नबाव सिंह निवासी – सिनौर तहसील गोहद जिला – भिण्ड (म.प्र.)

..... प्रार्थी

विरूद्ध

(1) सोहराव खॉ पुत्र श्री मन्ने खॉ

(2) सेवाराम पुत्र श्री माधुरी जाटव दोनो निवासीगण – ग्राम छैकुरी तहसील गोहद जिला – भिण्ड (म.प्र.)

..... प्रति प्रार्थीगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.एन. 500/96 पुनरीक्षण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी श्री हरिसिंह का देहांत हो गया है, ऐसी स्थिति में उनके वारिस अतर सिंह पुत्र नबाव सिंह की और से यह रेस्टोरेशन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.1996 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक आर.एन./500/96 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 08.06.2015 नियत की गई थी।

(3) यहकि, उक्त तारीख पेशी से पूर्व उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा लोक अदालत दिनांक 25.04.2015 को आवेदक की बिना किसी जानकारी के सूची क्रमांक 52 पर रखा गया था। इसकी कोई भी सूचना आवेदक के नियुक्त अभिभाषक को नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से नियुक्त अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके। और प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2015 पारित कर दिया गया उक्त प्रकरण में प्रार्थी की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्थिर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की विधिवत् रूचि थी। ओर इस कारण उसकी ओर से अपने अभिभाषक नियुक्त कर कार्यवाही किये जाने का अधिकार दिया गया था। किन्तु अभिभाषक किन्ही कारण वश प्रकरण में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। ओर प्रकरण प्रार्थी की रूचि के अभाव में समाप्त किया गया। जो वैधानिक दृष्टि पर उचित नहीं है। इसलिये प्रकरण को पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है।